CGDH010008352022

Presented on : 05-09-2022
Registered on : 17-10-2022
Decided on : 02-03-2023
Duration : 4 months 16 days

न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम), धमतरी
जिला धमतरी (छ०ग०)

(पीठासीन अधिकारी–के.एल. चरयाणी)

वि.दां.प्र.(विद्युत अधिनियम)क्र. 58/2022
संस्थित दिनांक–05/09/2022

छ.ग.रा.वि.वि.कं.मर्यादित संभाग कुरूद, उप संभाग भखारा
द्वाराः–सहायक अभियंता वेदप्रकाश कन्नौजे,
छ.ग.रा.वि.वि.कं.मर्यादित उप संभाग भखारा, संभाग कुरूद
तहसील कुरूद जिला धमतरी (छ.ग.) .... **परिवादी**

प्रति

दीपचंद जैन पिता स्व. लालचंद जैन, उम्र 65 वर्ष,
निवासी वार्ड क्र. 10 ग्राम भाटापारा पचपेड़ी,
तहसील भखारा, जिला धमतरी(छ.ग.) .... **अभियुक्त**

निर्णय

(दिनांक 02/03/2023 को परिदत्त)

अभियुक्त पर **विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135** के अपराध का यह आरोप है कि उसने दिनांक 09/06/2022 को वार्ड क्रमांक 10 ग्राम भाटापारा पचपेड़ी, तहसील भखारा, जिला धमतरी (छ.ग.) स्थित अपने परिसर में लगे विद्युत मीटर के इनकमिंग सर्विस वायर के फेस एवं न्यूट्रल वायर को आउट गोइंग पाइंट (टर्मिनल) से अलग कर इनकमिंग सर्विस वायर के फेस एवं न्यूट्रल से जोड़ कर मीटर के इनकमिंग टर्मिनल के फेस एवं न्यूट्रल में एक साथ कनेक्शन कर बायपास कर घरेलू विद्युत उपकरण में चोरी से विद्युत

आपूर्ति कर अवैध रूप से 4107 वाट विद्युत उर्जा का उपभोग बेईमानीपूर्वक करके **1,05,940=00 रूपये (अक्षरीः एक लाख पांच हजार नौ सौ चालीस रूपये)** के मूल्य की विद्युत उर्जा की चोरी की।

2. यह विशेष दांडिक प्रकरण, छ.ग.रा.वि.वि.कं.मर्यादित उप संभाग भखारा, संभाग कुरूद की ओर से प्रस्तुत परिवाद पत्र से पंजीबद्ध किया गया हे। परिवाद पत्र के अनुसार अभियुक्त ने दिनांक 09/06/2022 को वार्ड क्रमांक 10 ग्राम भाटापारा पचपेड़ी, तहसील भखारा, जिला धमतरी (छ.ग.) स्थित अपने परिसर में लगे विद्युत मीटर के इनकमिंग सर्विस वायर के फेस एवं न्यूट्रल वायर को आउट गोइंग पाइंट (टर्मिनल) से अलग कर इनकमिंग सर्विस वायर के फेस एवं न्यूट्रल से जोड़ कर मीटर के इनकमिंग टर्मिनल के फेस एवं न्यूट्रल में एक साथ कनेक्शन कर बायपास कर घरेलू विद्युत उपकरण में चोरी से विद्युत आपूर्ति कर अवैध रूप से 4107 वाट विद्युत उर्जा का उपभोग बेईमानीपूर्वक करके **1,05,940=00 रूपये (अक्षरीः एक लाख पांच हजार नौ सौ चालीस रूपये)** के मूल्य की विद्युत उर्जा की चोरी की जिस पर से सहायक अभियंता द्वारा गवाह एवं अभियुक्त के समक्ष स्थल निरीक्षण पंचनामा तैयार किया गया। साथ ही घटनास्थल से वायर जप्त कर उनकी प्रतियां अभियुक्त को प्रदान की गई एवं उक्त दस्तावेजों पर अभियुक्त व साक्षियों के हस्ताक्षर लिये गये एवं अभियुक्त के विरूद्ध परिवाद पेश कर **धारा 135(1)(क) विद्युत अधिनियम, 2003** के तहत दंडित किये जाने का निवेदन किया गया है।

3. अभियुक्त के विरूद्ध **धारा 135 विद्युत अधिनियम, 2003** के तहत आरोप विरचित किये जाने पर उसने अपराध करना स्वीकार नहीं किया और उसकी प्ली दर्ज की गयी।

4. अभियुक्त ने व्यक्त किया कि उसने इस प्रकरण में विद्युत

विभाग में वांछित राशि जमा कर दिया है, अतः प्रकरण का राजीनामा के आधार पर निराकरण किये जाने का निवेदन किया है। इस प्रकरण में **कार्यालय सहायक अभियंता(विद्युत सुररक्षा) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, छ.ग. शासन उप संभाग धमतरी से पत्र क्रमांक/राजीनामा/तेरह/879/सहा.अभि.(वि.सु.)/धमतरी, दिनांक 15/02/2023** प्राप्त हुआ है जिसके अंतर्गत श्री एस.एल. साहू, सहायक अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, छ.ग. शासन उपसंभाग धमतरी ने अभियुक्त की ओर से **विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135** के तहत राजीनामा अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर एवं निर्धारित राशि **1,05,940/–रूपये** (चार किश्तो में दिनांक 20/06/2022 को 52,000/–रूपये, दिनांक 29/07/2022 को 30,000/–रूपये, दिनांक 19/09/2022 को 24,300/–रूपये एवं दिनांक 26/10/2022 को 3,320/–रूपये) जमा करने के उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की एक प्रति इस न्यायालय की ओर प्रेषित की गयी है जिसमें दर्शित किया गया है कि अभियुक्त ने धारा 152(1) विद्युत अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट राशि **20,000/–रूपये (अक्षरीः बीस हजार रूपये)** चालान क्रमांक–117827639/12 के माध्यम से दिनांक 04/02/2023 को जमा कर दिया है। यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है और इसलिए मुख्य विद्युत निरीक्षक ने अभियुक्त को राजीनामा की अनुमति प्रदान की है। राजीनामा के संबंध में **वेदप्रकाश कन्नौजे (परि.सा.1)** का कथन लेखबद्ध किया गया।

5. इस प्रकरण में उभयपक्ष की ओर से राजीनामा हेतु आवेदन पेश कर यह निवेदन किया गया है कि विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट राशि जमा करने के बाद मुख्य विद्युत निरीक्षक ने अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के लिए विधिवत अनुमति प्रदान की दी है इस स्थिति के प्रकाश में

आगे की कार्यवाही परिवादी नहीं चाहता। **विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 152** के तहत आरोपित अपराध राजीनामा योग्य है तथा प्रस्तुत राजीनामा विधि सम्मत है। राजीनामा के तथ्यों की पुष्टि परिवादी साक्षी **वेदप्रकाश कन्नौजे (परि.सा.1)** के कथन से भी होती है। अतः इस विधिक स्थिति के प्रकाश में प्रस्तुत राजीनामा आवेदन को स्वीकार करते हुए अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 135 विद्युत अधिनियम, 2003** के अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** कर स्वतंत्र करता हूं।

6. दोषमुक्त की जमानत व मुचलके दंड प्रक्रिया संहिता की **धारा 437 क** के उपबंध द्वारा अपेक्षित अनुसार इस निर्णय दिनांक से **6** माह तक प्रभावी रहेंगे, उसके पश्चात भारमुक्त माने जायेंगे।

7. प्रकरण में निराकरण योग्य कोई संपत्ति नहीं है।

8. निर्णय की प्रति माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में परिवादी/अभियोजन पक्ष को प्रदाय की जाये।

सही/–

स्थानः धमतरी
दिनांकः 02/03/2023

(के.एल.चरयाणी)
विशेष न्यायाधीश
(विद्युत अधिनियम)
धमतरी(छ.ग.)

टीप–आदेशानुसार अपलोड।